

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***  
**\*(पत्रांक-222/2025 दिनांक 10.08.2025)\***  
**\*दिनांक-10.08.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**  
**द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना चौराखास-\***

आज दिनांक 10.08.2025 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से 01 अभियुक्त सत्येन्द्र गौड़ पत्रु नगीना गौड़ निवासी कटेया वार्ड न0 06 थाना कटेया जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 56 पाउच बबली बन्टी देशी शराब व 3,080/- रुपये नगद बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार थाना चौराखास पर मु0 अ0सं0 118/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*एक पिकप वाहन से अवैध रुप से तस्करी कर ले जायी जा रही 03 राशि गोवंश के साथ 01 गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09/10.08.2025 की रात्रि थाना चौराखास पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से एक पिकप वाहन संख्या UP57AT3948 से तस्करी कर वध हेतु बिहार राज्य ले जायी जा रही 03 राशि गोवंशीय( 02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा) के साथ 01 पशु तस्कर हरीश उर्फ हरेश कुशवाहा पुत्र भृगुन कुशवाहा निवासी जौरा मोगलही थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम को देखकर पिकअप चालक मुकेश कुशवाहा, पुत्र भृगुन कुशवाहा, निवासी जौरा मोगलही, थाना चौराखास, जनपद कुशीनगर तथा उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों गठित की गई हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चौराखास पर मु0अ0सं0 0117/2025 धारा 3/5ए/8/5बी गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**\*पूछताछ का विवरण-\***

पूछ-ताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया वह अपने सहयोगी मुकेश कुशवाहा(पिकप चालक, फरार) के साथ मिलकर गोवंशी पशुओं को विभिन्न स्थानों से पकड़कर पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर बिहार राज्य में ले जाकर बेच देते हैं। जिससे आर्थिक लाभ कमाया जाता है। तस्करी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की जानकारी हेतु गहन पूछताछ जारी है, और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सक्रिय हैं।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 117/2025 धारा 3/5ए/8/5बी गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

हरीश उर्फ हरेश कुशवाहा पुत्र भृगुन कुशवाहा निवासी जौरा मोगलही थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी विवरण-\***

1-एक अदद पिकप रजिस्ट्रेशन संख्या UP57AT3948  
2-तीन राशी गौवंशीय पशु (02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा)

**\*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-\***

1. थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार पटेल थाना चौराखास कुशीनगर।
2. उ0नि0 रामप्रगट मिश्र थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।
3. उ0नि0 आकाशदीप शुक्ला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।
4. हे0का0 अशोक यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।
5. का0 जितेन्द्र यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।
6. का0 विनोद कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।

**\*हिन्दू नाबालिक लड़की को भगाकर धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-\***

दिनांक 04.08.2025 को पीडिता की माँ द्वारा सूचना दिया गया कि उनकी पुत्री को समसुद्दीन अंसारी पुत्र मेहदी हसन निवासी बरवा बाजार थाना कसया जनपद कुशीनगर द्वारा भगा ले गया है। इस सम्बन्ध में थाना कसया पर मु0अ0सं0 513/2025 पंजीकृत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।



जिसके क्रम में पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए आज दिनांक 10.08.2025 को थाना कसया की पुलिस टीम द्वारा सम्बन्धित अभियुक्त समसुद्दीन अंसारी पुत्र मेहदी हसन निवासी बरवा बाजार थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछताछ का विवरण:-\***

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया कि उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाया और मुम्बई (महाराष्ट्र) ले गया। वहाँ उसने पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म किया। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने पीड़िता का नाम बदलकर रेहाना खातून कर दिया और उसी नाम से आधार कार्ड बनवा दिया।

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

मु0अ0सं0 0513/2025 धारा 64, 87, 318(4), 351(3) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतषेध अधिनियम थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्त:-\***

समसुद्दीन अंसारी पुत्र मेहदी हसन निवासी बरवा बाजार थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-\***

01. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना कसया जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 विवेक कुमार तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर
03. मुख्य आरक्षी रणजीत सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर

**\*थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किय गया गिरफ्तार:-\***

जनपद कुशीनगर में वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.08.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0नं0 796/2025 धारा 64/115(2)/351(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से संबन्धित वारण्टी वजीर आलम पुत्र मौलवी साकिन मिठहा माफी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***



Edit with WPS Office

मु0नं0 796/2025 धारा 64/115(2)/351(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट

**\*गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-\***

वजीर आलम पुत्र मौलवी साकिन मिठहा माफी थाना नेबुआ नौरंगिया  
जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

1-थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर  
2-उ0नि0 अमित कुमार थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

**\*थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.08.2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टियों 01. भुआल पुत्र नन्दलाल केवट साकिन डाडी टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर 02. दुक्खी पुत्र नन्दलाल साकिन डाडी टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर 03. लक्ष्मन पुत्र रामअधार साकिन डाडी टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर 04. वकील पुत्र रामऔतार केवट साकिन न0प0 कप्तानगंज झझवा टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर 05. सुर्यनाथ केवट पुत्र रामदरश साकिन न0प0 कप्तानगंज झझवा टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

01. मु0न0- 12897/2022 धारा-147/323/504/506 भा0द0वि0 थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर  
02. मु0न0 13691/2022 धारा 457/380 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

01. भुआल पुत्र नन्दलाल केवट साकिन डाडी टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर  
02. दुक्खी पुत्र नन्दलाल साकिन डाडी टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर  
03. लक्ष्मन पुत्र रामअधार साकिन डाडी टोला थाना कप्तानगंज जनपद



कुशीनगर

04. वकील पुत्र रामऔतार केवट साकिन न0प0 कप्तानगंज झझवा टोला  
थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

05. सुर्यनाथ केवट पुत्र रामदरश साकिन न0प0 कप्तानगंज झझवा टोला  
थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

01. प्र0नि0 चन्द्रभूषण प्रजापति थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

02. उ0नि0 उ0नि0 सौरभ द्विवेदी थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

03. हे0का0 बृजेश राय थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

04. का0 मटरु यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

05. का0 मंजेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

**\*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 22 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में=\***

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-56  
वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-31, व्यक्ति-106

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(09)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-31)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***

